समहरणालय, रोहतास (सासाराम)

निविदा

रोहतास जिला में आसन्न बाढ/सुखाड़ के पूर्व तैयारियों के क्रम में पशु चारा का दर निर्धारण हेतु सक्षम फार्मों से निम्न शर्त्तों के अधीन दुबारा निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदाता का फर्म निबंधित होनी चाहिए।
2. निविदाता को वित्तीय वर्ष 2017–18 तक 3 वर्षो का बिक्रीकर एवं आयकर का भुगतान प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए। तथा काली सूची में उनका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए।
3. निविदा के साथ रू0– 5000/– (पॉच हजार) का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, रोहतास के नाम से (सासाराम में भुगतेय) सुरक्षित जमा राशि के रूप में जमा करना होगा।
4. निविदा मोहर बन्द लिफाफे में निविदा प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर 4 बजे अपराहन में जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी।
5. निविदा अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस को 4 बजे अपराहन में जिला क्रय समिति के अध्यक्ष उप विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में उनके समक्ष्य खोली जायेगी। जिसमें निविदा दाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते है।
6. सामग्री उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए।, सामग्री आदेश के पश्चात 24 घंटे के अन्दर आपूर्त्ति करनी होगी।
7. निविदा दाता सामग्री आपूर्त्ति की जाने वाली सामग्री का नमूना उक्त तिथि को साथ रखना होगा।
8. निविदा दाता का सामग्री आपूर्त्ति से संबंधित यदि अनुभव प्रमाण–पत्र हो तो निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
9. निविदा दाता को वित्तीय तथा तकनिकी निविदा अलग–अलग बन्द लिफाफे में देना होगा।
10. किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
11. बाढ़ एवं सुखाड़ होने पर प्रभावित प्रखण्ड़ो के शिविर स्थल पर चारा आपूर्त्ति हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा।
12. स्वीकृत निविदा दाता द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ सामग्री आपूर्त्ति के संबंध मे एकरारनामा के शर्त्तों के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्त्ति करनी होगी।

13/5/17

जिला पशुपालन पदाधिकारी
रोहतास, (सासाराम)

जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम